प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) 52

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्तसिंह मिर्धा RAS

उनवान

रामवतार बनाम सरकार (राजस्व)

दावा बाबत इस्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज U/S 88-89 RT Act-1955

मुकदमा नम्बर :– 108/20-06-2011

निर्णय दिनांक :– 08-06-2016

वादी की ओर से वादी की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को बलवन्तसिंह मिर्धा (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

आराजी हाल रकबा 821/603 रकबा 1.2600 है. वाके ग्राम नीमलाबा तहसील कोटकासिम में वादी के पिता का नाम मेगाराम को कब्जा दान किये जाने व इसके स्थान पर आराजी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली नम्बर 108 कम होकर बाद तकमील दफ्तर की जावे। निर्णय केम्प कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 08-6-16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्तसिंह मिर्धा)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			

Scanned by CamScanner

संज्ञान 8/6/16

आज यह पत्रावली क्रमकोर्ट में पेश हुई वादीगण उपस्थित। परोक्ष उप.। पत्रावली पर वादी व परोक्ष का हुआ। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश किये साक्ष्य आधार कार्ड, मतदाता पहचानपत्र, सरपंच के प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, संबंधित है वादी के पिता का नाम आगामन लिखते हैं अतः वादी के पिता का नाम आगामन किया जाना न्यायोचित है। अतः वादी के पिता का रिकार्ड में दर्ज संशोधन को मंजूर करते व आगामन दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। इसलिये राजस्व रिकार्ड ख.नं. 821/603 वाले ग्राम नीमथाना में उपरोक्त इंतकाली की जावे। पत्रा. नकल के काम हेतु बाद तकमील शुल्क दफ्तर की जावे। निर्णय क्रमकोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Scanned by CamScanner